(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की संवीक्षा :

आयोग ने (1) कानूनों की जांच करने, (2) न्याय प्रदान पद्धति के सम्बन्ध में (3) श्रम और बीमा कानूनों के संबंध में तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया । आयोग ने दहेज निषेध अधिनियम 1961, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1954 तथा बीमा अधिनियम की समीक्षा की तथा इनमें संशोधन के लिए सुझाव दिए । आयोग को प्राप्त विभिन्न विधायी प्रस्तावों की भी आयोग ने जांच की और उनके संबंध में अपनी टिप्पणियां भी प्रस्तुत कीं ।

2. महिलाओं के लिए अभिरक्षा न्याय :

आयोग के सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में स्थित कई जेलों का दौरा किया, ताकि कैदी महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सभी राज्यों को एक प्रश्नावली भी जारी की गई । एक विशेषज्ञ समिति ने महिला कैदियों की गिरफ्तारी, दोष-सिद्धि, अभिरक्षा तथा पुनर्वास से संबंधित मुद्दों की जांच की और कई सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया ।

3. शिकायतें :

आयोग को दहेज, दहेज-मृत्यु, बलात्कार, सार्वजनिक रूप से निःवस्त्र करने, कार्य-स्थलों पर यौन-शोषण आदि के सम्बन्ध में पीड़ित महिलाओं से 500 से भी अधिक शिकायतें प्राप्त हुई । इन शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को लिखा गया । कुछ चुनिन्दा मामलों में, घटना स्थल पर तत्काल जांच-पड़ताल भी की गई ।

4. राज्यों का दौरा :

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आयोग के सदस्यों ने अनेक राज्यों का दौरा किया तथा इस मामले पर मुख्यमंत्रियों, संबंधित मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों से चर्चा की । इस दौरान, उन्होंने विभिन्न महिला संगठनों से भी विचार-विमर्श किया ।

5. 1955 में बीजिंग सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्रक्रेख तैयार करना :

सितम्बर 1995 में बीजिंग में होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय प्रक्रेख का प्रारूप तैयार करने में आयोग ने सक्रिय रूप से भाग लिया ।

6. संचेतना प्रचास :

महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों में विचार-विमर्श में भाग लेने के अतिरिक्त, आयोग ने कई संगोष्ठियां/कार्यशालाएं प्रायोजित/आयोजित कीं । इनमें पंचायती राज में महिलाएं, बालात्संग, आर्थिक सुधार और महिलाएं, महिला कैदियों के लिए अभिरक्षा न्याय, जनजातीय महिलाओं की स्थिति, आदि विषय शामिल थे । इनके अतिरिक्त, आयोग ने महिलाओं के विकास से संबंधित विषयों पर कुछ अनुसंधान एवं अध्ययन कार्यक्रम भी प्रायोजित किए ।

7. जनजातीय महिलाओं की स्थिति :

जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर विशेषज्ञ समिति के परामर्श से, आयोग ने जनजातीय समुदायों में महिला के विकास के संबंध में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया ।

Sex Education in Schools

1566. SHRI GOVINDRAO ADIK : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to incorporate Sex education in the Curriculum of schools;

(b) if so, how Government intend to educate children after certain age;

(c) whether the possibility of making sex education in schools or introducing "Population Education" in its place has been examined ;

(d) if so, the outcome thereof;

(e) whether Government have in context examined one of the goals referred to at the recently held UN Conference on population and Development in Cairo; namely education for girls, reduction in infant and maternal mortality and universal access to family planning and health services for women:

(f) if so, the reaction of Government thereon; and

(g) what experience has been gained by other developed countries regarding access to information on sex in school syllabus and whether that was taken into consideration by Government while arriving at i*s decision for not incorporating sex education as part Df the school education ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOUCRE iEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF' CULTURE) KUMARI SELJA) : (a) and (b) A National eminar on Adolescence Education was rgauised by the NCERT at New Delhi on ith and 13th April, 1994 in which different ipects of introduction of Adolescence Educaon into school curriculum were discusse-J. he recommendations of the National Seminar ive been accepted by the NCERT for develop g a. gensrdl framework of Adolescence lucation including Sex Education, AIDS lucation and Education against Drug >use.

c) and (d) The National Population Educa-n Project (NPEP) being implemented ;e 1980 has related components of Sex ucatiou. The contents of Population Educa-l are intergated in all siages of school cation.

:) and (f) Yes Sir. Some of the issues ictsd in the Programme of Action of the International Conference on Population and Development held at Cairo in September 19,94 have been included in the general framework of Population Education.

(g) While planning for the National seminar on Adolescence Education, the NCERT gathered information regarding the experieivces of other countries in the area of sex Education in schools.

कलाकारों को वजीफे प्रदान करना

1567. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब उत्साही कलाकारों, जैसे नाटककारों, संगीतकारों, नृतकों आदि को वजीफा प्रदान करने के लिए उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं और क्या इसके लिए उनका चयन उनकी श्रेष्ठता तथा उपलब्धियों को देख कर किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कितने कलाकारों को इस वर्ष वजीफा दिया गया है तथा इसकी धनराशी कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, हां। संस्कृति विभाग ने विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे। प्रत्येक क्षेत्र के लिए गठित विशेषज्ञ समितियां अंतिम चयन करने से पूर्व उनकी उत्कृष्टता एवं उपलब्धि को ध्यान में रखती हैं। वर्ष 1994-95 के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। शिक्षावृत्ति की राशी 1000 रुपये प्रति माह है।

Setting up of Regional Offices of UGC in Orissa

1568. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question *1*615 given in the Rajya Sabha on 5th August, 1994 aud state :

(a) the names of states idemiied for the location of the regional offices of UGC;